



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा

दिनांक 15.12.24

थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 302/24 धारा 304(2) बीएनएस में वंछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से छीने हुए 01 जोड़ी कुण्डल पीली धातु बरामद ।



संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 21-09.24 को थाना खेकड़ा पर वादिया ने सूचना दी कि मोटर साइकिल सवार 02 व्यक्ति 1.परवेज पुत्र आशिफ निवासी रटौल थाना खेकड़ा बागपत व एक अज्ञात व्यक्ति

द्वारा वादिया के कान से 02 सोने के कुण्डल व वादिया की पडौसन के कान से 02 सोने के कुण्डल झपट्टा मारकर छीनकर ले गये है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 302/24 धारा 304(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं लूटेरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 302/24 धारा 304(2) बीएनएस में छिनैती की घटना में वांछित चल रहे 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से छीने हुए 01 जोड़ी कुण्डल पीली धातु बरामद हुये हैं ।

बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी है । उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

विनोद कुमार पुत्र ओम सिंह निवासी ग्राम ढिकोली थाना चाँदीनगर जनपद बागपत
।

बरामदगी का विवरण-

- 01 जोडी कुण्डल पीली धातु ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ०नि० श्री जगवीर सिंह थाना खेकडा
- 2.उ०नि० यूटी सुजीत कुमार थाना खेकडा
- 3.है०का० 497 राधेश्याम थाना खेकडा





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनांक-15.12.2024

थाना दोघट पुलिस ने चैकिंग के दौरान ऑनलाइन सट्टा की खाईवाडी करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक मोबाइल फोन बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान ऑनलाइन सट्टा की खाईवाडी करते हुए अभियुक्त नितिन उर्फ गौरी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक मोटोरोला मोबाइल बरामद हुआ है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के

सम्बन्ध में थाना दोघट पर मु0अ0सं0 331/2024 धारा 13जी एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

नितिन उर्फ गौरी पुत्र चांदपाल निवासी ग्राम आदमपुर थाना दोघट जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त एक मोटोरोला मोबाइल रंग लाल बरामद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उपनि0 श्री ब्रजेश पौनिया थाना दोघट जनपद बागपत ।

2-का0 951 पीतम्बर थाना दोघट जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बडौत

दिनांक 15.12.2024

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर बरामद हुआ है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना बडौत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

महत्वपूर्ण सूचना---बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति अवैध अस्लाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी अस्लाह का प्रदर्शन न किया जाये यदि कोई ऐसा प्रकरण संज्ञान मे आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शुभम पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम जौनमाना थाना बडौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री अनूप कुमार थाना बड़ौता
2. है०का० 306 राजीव कुमार थाना बड़ौता
3. है०का० 438 कवित कुमार थाना बड़ौता



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 15.12.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 1025/24 धारा 103(1) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त चुन्नी बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 14.12.2024 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी हुस्नपाल पुत्र बारू निवासी गौरीपुर जवाहरनगर थाना कोतवाली बागपत ने लिखित तहरीर दी कि वादी के बेटे निखिल पुत्र हुस्नपाल ने गुरसे में आकर वादी की पुत्री का गला दबाकर हत्या कर दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु०अ०सं 1025/24 धारा 103(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया।



नोट- दिनांक 12-12-2024 को थाना कोतवाली बागपत पुलिस को जिला अस्पताल बागपत से सूचना मिली कि एक नाबालिग लडकी को उसके परिजन अस्पताल लेकर आये थे, जिसकी मृत्यु हो गई है। थाना कोतवाली बागपत पुलिस

तत्काल मौके पर पहुंची तथा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लडकी का गला दबाने से मृत्यू होना आया। थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा परिजनो को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो लडकी के भाई निखिल ने बताया कि उसकी बहन का किसी लडके के साथ अफेयर था जिसका निखिल को पता चल गया था, इसी बात को लेकर निखिल ने गुरसे में आकर चुन्नी से उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं 1025/24 धारा 103(1) बीएनएस में वांछित निखिल पुत्र हुस्नपाल को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

निखिल पुत्र हुस्नपाल निवासी गौरीपुर जवाहरनगर थाना बागपत जिला बागपत।

बरामदगी का विवरण-

वादी की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त एक चुन्नी बरामद

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1-प्र0नि0 दीक्षित कुमार त्यागी थाना बागपत जनपद बागपत।
- 2-उ0नि0 नरेन्द्र सिंह थाना बागपत जनपद बागपत।
- 3-का0 44 संजीव कुमार थाना बागपत जनपद बागपत।
- 4-का0 60 संदीप कुमार थाना बागपत जनपद बागपत।
- 5-का0 41 रविन्द्र कुमार थाना बागपत जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनांक 15.12.2024

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 291/2024 धारा 191(2)/191(3)/190/103(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसकी निशादेही पर एक अवैध तमंचा .315 बोर एक खोखा व एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 13.12.2024 को थाना बिनौली पर वादी अन्नु पुत्र महेक सिंह निवासी ग्राम सिरसलगढ थाना बिनौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.नीरज पुत्र गुल्लू, 2.मोन्टू पुत्र तेजपाल निवासीगण सिरसलगढ थाना बिनौली जनपद बागपत व एक व्यक्ति अज्ञात द्वारा वादी के भाई अमीर पुत्र महेक सिंह निवासी सिरसलगढ थाना बिनौली जनपद बागपत



को घर से बुलाकर ले जाना तथा जंगल ग्राम फजलपुर में शराब पिलाकर महेन्द्र सिंह पुत्र रणजीत सिंह के ईख के खेत में गोली मारकर हत्या कर देना । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 291/24 धारा 103(1)/3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 291/2024 धारा 191(2)/191(3)/190/103(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय एक खोखा व एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया है । उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट- उपरोक्त अभियोग में दिनांक 14-12-2024 को थाना बिनौली पुलिस, सर्विलांस सैल व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा 04 अभियुक्तों 1-निखिल उर्फ मोन्टू पुत्र तेजपाल, 2.सूरज पुत्र तेजपाल, 3.अजय उर्फ छंगा पुत्र जितेन्द्र व 4.नितिन उर्फ पण्डा पुत्र किरण को गिरफ्तार किया जा चुका है।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक खोखा व एक जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

नीरज पुत्र गुलशन निवासी सिरसलगढ थाना बिनौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्रभारी निरीक्षक कुलदीप सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत
- 2- उ0नि0 श्री विपिन कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत
- 3- है0का0 525 दीपक भाटी थाना बिनौली जनपद बागपत
- 4-का0 813 दोसेन्द्र थाना बिनौली जनपद बागपत





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा

दिनांक 15-12-2024

ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस ने गुमशुदा 08 वर्षीय बच्चे को अथक प्रयास के बाद अल्प समय में सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सुपुर्द किया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा गुमशुदा 08 वर्षीय बच्चे को अथक प्रयास के बाद अल्प समय में सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया ।

परिजनों द्वारा बागपत पुलिस का आभार प्रकट करते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी ।



बरामद करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री महेन्द्र प्रकाश शर्मा थाना खेकडा जनपद बागपत ।

2-का0 978 पुनीत कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।